CHHATTISGARH STATE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY (CREDA)
(Dept. of Energy, Govt. of Chhattisgarh)
V.I.P. (Airport) Road, Near Energy Education Park, P.O. Deopuri, Raipur - 492 015 (C.G)
Tel.: 83700 09915, 83700 09923 • **Email:** contact.creda@gov.in • **Website:** www.creda.co.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्र./ 19556 /आर.ई.–03 (JJM)/2021–22 रायपुर दिनांक 16.02.2022

प्रति,

M/s Bansal Industries ,
Near Sindhi School, Ram Sagar Para,
Raipur (C.G.)

विषयः–जल जीवन मिशन अंतर्गत स्थापनाकर्ता इकाईयों को गुणवत्ताहीन एवं अवमानक (Sub-standard) वाटर टैंक प्रदाय किये जाने के कारण वेन्डर पंजीकरण निरस्त कर कालीसूचीबद्ध किये जाने बाबत्।

संदर्भः–1. आपका पत्र क्रमांक BI/SS/CREDA/01 दिनांक 09.02.2022.
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 18755 दिनांक 03.02.2022.
3. सिपेट, रायपुर का परीक्षण रिपोर्ट पत्र क्रमांक सिपेट/आर.पी.आर./पी.टी.सी/परीक्षण रिपोर्ट/2021–22/2486 दिनांक 11.01.2022

विषयांतर्गत लेख है कि, जल जीवन मिशन योजनांतर्गत स्थापनाकर्ता इकाई मेसर्स सोलर सॉल्यूशन्स, रायपुर द्वारा जिला कबीरधाम में सोलर ड्यूल पम्प की स्थापना हेतु आबंटित कार्य में आपके द्वारा निर्मित (मेक –वाटर किंग) वाटर टैंको को स्थापित किया गया है। स्थापित सोलर ड्यूल पम्पों में से तीन संयंत्रों के वाटर टैंकों का स्थापना तिथि से 06 माह के भीतर क्षतिग्रस्त (लीकेज) हो जाने के कारण एक नग वाटर टैंक को परीक्षण हेतु सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट), रायपुर भेजा गया था। सिपेट द्वारा वाटर टैंक के परीक्षण उपरांत आपके द्वारा निर्मित वाटर टैंक का तकनीकी विन्यास IS 12701:1996 के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस संबंध में आपको इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था।

संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से आपके द्वारा नोटिस के प्रतिउत्तर में अवगत कराया गया है कि वाटर टैंक के अवमानक एवं गुणवत्ताहीन पाये जाने का कारण **"अकुशल श्रमिक द्वारा आपके स्वयं के Recycle Material का उपयोग 10 प्रतिशत से ज्यादा मिलाना "** बताया गया है। जिससे वाटर टैंक की Density बढ़ गई एवं टैंक क्षतिग्रस्त/लीकेज हो गया। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि, आपके द्वारा गुणवत्ताहीन एवं अवमानक वाटर टैंक प्रदाय किया गया था।

अतः संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के माध्यम से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट तथा उक्त संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से आपकी पुष्टि उपरांत अवमानक एवं गुणवत्ताहीन वाटर टैंक प्रदाय किये जाने के कारण क्रेडा में आपके द्वारा निर्मित वाटर टैंकों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है तथा वेन्डर पंजीकरण नियमों की कंडिका 6 (K) पृष्ठ क्रमांक 06 के अनुसार आपका पंजीकरण निरस्त करते हुये आपकी जमा ई.एम.डी. राशि राजसात् की जाती है तथा आपका नाम एक वर्ष हेतु क्रेडा की काली सूची में डाला जाता है।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

sd
(दिनेश अवस्थी)
अधीक्षण अभियंता (आर.ई.–03)
निरंतर.........

पृ.क्र./19517 /आर.ई.–03 (JJM)/2021–22 रायपुर दिनांक 16.02.2022

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, क्रेडा, प्रधान कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता (आर.ई.–02/04), क्रेडा, प्रधान कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता (आर.ई.–02), क्रेडा, प्रधान कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता (आर.ई.–06), क्रेडा, प्रधान कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं इकाई का वेन्डर पंजीयन निरस्त करते हुये इकाई का नाम कालीसूचीबद्ध किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियंता, क्रेडा, जोनल कार्यालय, समस्त को सूचनार्थ प्रेषित।
6. कार्यपालन अभियंता, क्रेडा, क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त को सूचनार्थ प्रेषित।
7. सहायक अभियंता/जिला प्रभारी, क्रेडा, जिला कार्यालय, समस्त को सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्री बेन्नी सी.ए., क्रेडा प्रधान कार्यालय, रायपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

अधीक्षण अभियंता (आर.ई.–03)